निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान-बीकानेर
04 JUL 2012
प्राशि/निजी/.....

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकः प.9(2) शिक्षा-5/2010 पार्ट   जयपुर, दिनांक 03-07-20

-: कार्यवाही विवरण :-

माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.06.2012 को मध्यान 3.00 बजे शिक्षा संकुल परिसर स्थित मीटिंग हॉल में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा निजी स्कूलों को स्थायी/नवीनीकरण मान्यता हेतु जटिल प्रावधानों एवं निशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना में निजी विद्यालयों का योगदान संबंधित मामलों में उनके प्रतिनिधियों के साथ संलग्न सूची(एनेक्सर-A) में अंकित अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गई। मीटिंग में बाद विचार विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1-RTE अधिनियम 2009 प्रावधानों के अन्तर्गत मान्यता लेने एवं खेल मैदान की अनिवार्यता के संबंध में :-

राज्य में पूर्व में प्राथमिक/मीडिल विद्यालय खोलने से पूर्व शिक्षा विभाग से मान्यता लेने की कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब RTE अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक निजी विद्यालयों के लिये मान्यता लेना आवश्यक है। निजी विद्यालयों द्वारा अब मान्यता लेने की प्रकिया के सरलीकरण की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि विद्यालय संस्था प्रधानों द्वारा अपनी स्कूलें पुरानी होने के दस्तावेजी साक्ष्य यथा ट्रस्ट/संस्था का सहकारिता नियमों में पंजीकरण, जैसा कोई विधि मान्य दस्तावेज अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर शिक्षा विभाग द्वारा ऐसी निजी स्कूलों को मान्यता देने पर विचार किया जावेगा। अतः ऐसे संस्था प्रधान अपनी स्कूलों की मान्यता लेने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) के समक्ष अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

जहाँ तक चैक लिस्ट 'A' के अनुसार खेल भूमि की आवश्यकता का प्रश्न है, केन्द्र सरकार के शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 19 व 25 के अनुसार खेल मैदान होना अनिवार्य है। इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। अतः निजी संस्थाऐं/स्कूल सुनिश्चित कर लें कि उनके पास समुचित क्षेत्र का खेल मैदान है।

प्रवेश प्रक्रिया में छात्र संख्या के पूर्व निर्धारण का संबंध RTE अधिनियम 2009 से है जो केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये हैं। इन प्रावधानों में संशोधन का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को पुनः निर्देशित किया गया कि वे अपनी आपत्तियों के संबंध में ज्ञापन केन्द्र सरकार को भिजवावें। राज्य सरकार भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेगी।

2. निजी स्कूलों के भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र के संबंध में :-

बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित स्कूल भवन होना आवश्यक है अतः यह निर्णय लिया गया कि जो निजी शैक्षिक भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं उन के संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार P.W.D. अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक रखा जावे।

जो निजी भवन 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनके सुरक्षित होने के संबंध में प्रति वर्ष P.W.D. अथवा अन्य राजकीय उपक्रम/हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय निकाय के सहायक अभियन्ता से भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक रखा जावे।

यह व्यवस्था प्राथमिक से लेकर उ.मा. स्तर के सभी निजी विद्यालयों के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया।

3. कक्षा कक्षों की संख्या व माप की समस्या :-

इसके संबंध में निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह जानकारी दी गई कि वर्ष 1993 के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक प.3(1) शिक्षा-5/94 जयपुर दिनांक 19.03.1994 द्वारा शिथिलता प्रदान की गई थी। इस पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में दी गई सभी शिथिलताओं को शिक्षा विभाग व बोर्ड द्वारा दिनांक 31.07.2012 तक लागू माना जावें। दिनांक 01.08.12 से निजी स्कूलों को मान्यता देने से पूर्व शिक्षा विभाग के अधिकारीगण चैक लिस्ट A (रिवाईज्ड) व चैक लिस्ट B (रिवाईज्ड) के प्रावधानों को गम्भीरता से लागू करें।

लगातार